भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2842
(जिसका उत्तर सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

भारत में कारपोरेट धोखाधड़ी के मामले

2842. श्री हसनैन मसूदीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग 66 प्रतिशत भारतीय कंपनियों ने वित्त वर्ष 2021 से आर्थिक अपराध के कम से कम एक मामले का सामना किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) भारत में कारपोरेट धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार कारपोरेट धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसने के लिए उपाय कर रही है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(च) क्या सरकार द्वारा निवेशकों को कारपोरेट धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय घाटे से बचाने के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पास ऐसे आंकडें नहीं रखे जाते हैं।

(ग), (घ) और (ङ): कंपनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में, जब कभी भी धोखाधड़ी के संबंध में कोई शिकायत या संदर्भ प्राप्त होता है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 या 212 के तहत कंपनी के विरुद्ध प्रादेशिक निदेशकों (आरडी) या गंभीर कपट

अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच करने का आदेश दिए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में एमसीए ने 410 कंपनियों की जांच प्रादेशिक निदेशकों (आरडी) द्वारा और 260 कंपनियों की जांच गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा करने के आदेश दिए हैं।

(च) और (छ): जी, हां। विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) की स्थापना निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (5) के तहत की गई है।

आईईपीएफए, आईजीएनओयू (इग्नू) ज्ञानदर्शन टीवी चैनल पर निवेशक जागरूकता कार्यक्रम, राज्य स्तरीय सम्मेलन, टेली व्याख्यान श्रृंखला; आकाशवाणी, प्रसार भारती (संसद टीवी और दूरदर्शन) के माध्यम से सूचनात्मक दृश्य-श्रव्य सामग्री की वार्ताएं और प्रसारण आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय साक्षरता के बारे में निवेशकों को शिक्षित करने के लिए सोशल मीडिया हैंडल का भी उपयोग किया जा रहा है।

आईईपीएफए ने देश के 19 राज्यों में "निवेशक सारथी" नामक 55 मोबाइल वैन तैनात की हैं। ये वैन निवेशक शिक्षा हब के रूप में काम करती हैं, जनता के बीच आवश्यक वित्तीय पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाती हैं और महिला ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) के माध्यम से ग्रामीण गांव में महिला निवेशकों के बीच निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए "निवेशक दीदी" लॉन्च की गई है।

आईईपीएफ प्राधिकरण निवेशकों को शिक्षित और संरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्य स्तरीय सम्मेलन भी आयोजित करता है। "अमृत काल में वित्तीय साक्षरता - निवेशकों को सशक्त बनाना" शीर्षक से ऐसा पिछला सम्मेलन फरवरी 2023 के महीने में आइजोल, मिजोरम में आयोजित किया गया था।

****